

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविसा/भा./माध्यमिक/अ-2/केमाशियो/2016-17 दिनांक :- 30.6.16

- (1) सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केंद्र-2 सामुदायिक केंद्र  
प्रीत विहार, दिल्ली-1100092
- (2) सचिव,  
सी.आई.एस.सी.ई.  
प्रगति हाऊस, तीसरी मंजिल  
47-48, नेहरू प्लेस  
नई दिल्ली- 110505

विषय :- सत्र 2016-17 हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सी.आई.एस.सी.ई. से सम्बद्धता प्राप्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

नहोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8)शिक्षा-1/2009पार्ट-IV जयपुर दिनांक: 30.06.16 की पालना में निम्नांकित 32 गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली/सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निर्भर जावेगी। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता	सत्र	माध्यम
1	पश्चिमन वाल्ड स्कूल, जयसिंहपुरा, अजमेर रोड, जयपुर	CBSE	2016-17	अंग्रेजी
2	सेण्ट्रल एकेडमी, उनाय, मुकुन्दपुरा रोड, भाकरोटा, जयपुर	CBSE	2016-17	अंग्रेजी
3	सेण्ट जोसेफ्स स्कूल, नेवटा, महापुरा रोड, जयपुर	CBSE	2016-17	अंग्रेजी
4	अक्षय बाल मन्दिर सी.सी. स्कूल, टीथर्स कॉलोनी, केशवपुरा, कोटा	CBSE	2016-17	हिन्दी